



**कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल
ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल ।**

निविदा सूचना

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित घाटे में चल रहे आवास गृहों/पर्यटक सुविधा केन्द्रों, मानिला/ईकोखेत/कटारमल/खेतीखान/थल/पर्यटक सुविधा केन्द्र थल/पदमपुरी/कालाढूगी/जलना/काशीपुर/श्यामलाताल/वेलनेस सेन्टर भवाली/गजार(बैतालघाट) को लीज/ किराये पर 05 वर्ष हेतु दिया जाना प्रस्तावित है ।

कृपया कोई भी संस्था/उद्यमी/व्यवसायी तथा स्थानीय बेरोजगार नवयुवक जो उक्त केन्द्रों के संचालन करने हेतु इच्छुक हो, ऐसे आवेदनकर्ता निविदा आवेदन फार्म निर्धारित शुल्क रू० 575.00 (कर सहित) जमा कर निगम के मुख्यालय, कार पार्किंग, सूखाताल, नैनीताल में किसी भी कार्य दिवस में तथा सम्बन्धित जनपद के आवास गृहों के केन्द्र प्रबन्धकों से प्राप्त कर सकते हैं । निविदायें निगम के मुख्यालय में दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 को अपरान्ह 2:00 बजे तक निविदा बाक्स में डाली जानी होगी, जो उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख अपरान्ह 3:00 बजे खोली जायेगी ।

किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा ।

प्रबन्ध निदेशक

नियम व शर्तें

- 1- निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत होगी को प्रारम्भ में संचालन अनुबन्ध 5 वर्ष हेतु किया जायेगा कार्य संतोषजनक होने पर इसे दोनो पक्षो की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है ।
- 2- पर्यटक आवास गृह/पर्यटक सुविधा केन्द्र जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में दिया जायेगा ।
- 3- निविदादाता को निविदा लिफाफे के बहार से जिन पर्यटक आवास गृहों/पर्यटक सुविधा केन्द्रों हेतु निविदा दरे दी गई है उनका नाम अंकित करना होगा। निविदा लिफाफे के अन्दर 2 और लिफाफे अलग-अलग दिये जाने होंगे। जिसमें पहले लिफाफे में निविदादाता को तकनीकी निविदा हेतु अपना पैन नं0/टिन नं0/पहचान पत्र/आधार कार्ड फॉर्म क्रय करने की रसीद की छायाप्रति दी जानी होगी एवं द्वितीय वित्तीय निविदा लिफाफे में दर संबंधी प्रपत्र दिया जाना होगा। पहले लिफाफे में तकनीकी निविदा एवं दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा लिखकर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना होगा ।
- 4- निविदा जिनकी स्वीकृत होगी उसके द्वारा सम्बन्धित केन्द्र को किसी अन्य पार्टी को Sublet नहीं किया जायेगा ।
- 5- जल/विद्युत व्यय/नगर पालिका परिषद के टैक्स आदि का भुगतान संचालनकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा ।
- 6- पर्यटक आवास/पर्यटक सुविधा केन्द्र गृह का उपयोग केवल पर्यटन गतिविधियों के लिये मान्य होगा ।
- 7- संचालनकर्ता द्वारा आवास गृह/सुविधा केन्द्र या अन्य इकाई में मरम्मत/रंगाई पुताई के अतिरिक्त किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य प्रथम पक्ष की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा ।
- 8- निर्धारित न्यूनतम किराये की राशि 20 प्रतिशत के बराबर धनराशि जमानत के रूप में इस कार्यालय में निविदा स्वीकार होने के पश्चात् बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि जमा करनी होगी जो कि प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक होगी ।
- 9- पर्यटक आवास गृह/पर्यटक सुविधा केन्द्र या अन्य इकाई में किसी तरह की क्षति हो जाने पर इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संचालनकर्ता का होगा ।
- 10- पर्यटक आवास गृह/पर्यटक सुविधा केन्द्र के किराये में 2 वर्ष पश्चात् प्रत्येक तीसरे वर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी ।
- 11- सफल निविदादाता को किराये की राशि पर सर्विस टैक्स धनराशि जो भी अनुमन्य हो किराये के साथ जमा करनी होगी। सर्विस टैक्स की दरों में संशोधन होने पर बढी हुई दरों के अनुसार ही सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा ।
- 12- निविदा जिनकी स्वीकृत होगी, उन्हें 3 माह का किराया अग्रिम जमा करना किया जाना होगा तथा किराये की धनराशि प्रत्येक माह के 2 तारीख तक या नियत तिथि के 7 दिन के भीतर जमा करनी होगी। समय पर धनराशि जमा न होने पर 18 प्रतिशत वार्षिक कटौती कर वसूली जायेगी।
- 13- यदि संचालनकर्ता द्वारा किराये की धनराशि जमा नहीं की जाती तो ऐसी स्थिति में किराये की अवशेष राशि की वसूली राजस्व वसूली के रूप में की जायेगी ।
- 14- अन्य शर्तों का उल्लेख अनुबन्ध में किया जायेगा, जो कि निविदा स्वीकृत होने वाले संचालनकर्ता के साथ एक सप्ताह के अन्दर निगम के मुख्यालय में किया जायेगा ।

- 15- निविदादाता को निविदा प्रारूप में अंकित पर्यटक आवास गृह के सम्मुख निर्धारित वार्षिक न्यूनतम दरों से ऊपर की किराये की धनराशि को फार्म में शब्दों एवं अंको दोनो में अंकित किया जाना होगा। इस धनराशि से कम किराये की धनराशि वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता किसी एक पर्यटक आवास गृह/पर्यटक सुविधा केन्द्र अथवा एक से अधिक या सभी इकाईयों के लिये भी अपनी दरें अंकित कर सकता है। निर्धारित न्यूनतम दरें की सूची निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	न्यूनतम किराया	शब्दों में
1.	पर्यटक आवास गृह, मानिला	रु0 5,00,000.00	पाँच लाख
2.	पर्यटक आवास गृह, ईकोखेत	रु0 1,50,000.00	एक लाख पचास हजार
3.	पर्यटक सुविधा केन्द्र, कटारमल	रु0 1,00,000.00	एक लाख
4.	पर्यटक सुविधा केन्द्र, खेतीखान	रु0 50,000.00	पचास हजार
5.	पर्यटक आवास गृह, थल	रु0 2,75,000.00	दो लाख पिच्छतर हजार
6.	पर्यटक आवास गृह, पदमपुरी	रु0 7,00,000.00	सात लाख
7.	पर्यटक आवास गृह, कालाढूगी	रु0 3,50,000.00	तीन लाख पचास हजार
8.	पर्यटक सुविधा केन्द्र, थल	रु0 50,000.00	पचास हजार
9.	पर्यटक आवास गृह, जलना	रु0 2,00,000.00	दो लाख
10.	पर्यटक आवास गृह, काशीपुर	रु0 3,50,000.00	तीन लाख पचास हजार
11.	पर्यटक आवास गृह, श्यामलाताल	रु0 2,00,000.00	दो लाख
12.	वेलनेस सेन्टर, भवाली	रु0 5,00,000.00	पाँच लाख
13.	पर्यटक सुविधा केन्द्र, गजार	रु0 1,50,000.00	एक लाख पचास हजार

- 16- यदि शासन द्वारा संबन्धित पर्यटक आवास गृहों/पर्यटक सुविधा केन्द्रों को किन्ही कारणों से निगम से वापस लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संचालनकर्ता से इन इकाईयों को वापस लेने के लिए निगम अधिकृत होगा।
- 17- दिनांक 24 दिसम्बर,2016 को अवकाश होने की दशा में निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि तथा निविदा खोलने की तिथि अगले कार्यदिवस पूर्व निर्धारित समय पर ही होगी।
- 18- निविदादाता को अपना पैन कार्ड/पहचान पत्र/आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी।

-----0-----

नोट:- जो निविदादाता आवेदन फार्म को वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे वे अपने निकटवर्ती कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों में निविदा हेतु निर्धारित शुल्क रु0 575.00 (प्रति आवेदन) जमा करेंगे और जमा धनराशि की रसीद प्राप्त करेंगे।



कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि० नैनीताल
तकनीकि निविदा

- 1- निविदादाता का नाम पिता का नाम
- 2- स्थाई पता
.....
.....
- 3- पत्राचार का पता
.....
.....
.....
- 4- निविदादाता का पैन नम्बर टिन नं०
- पहचान पत्र सं० आधार कार्ड सं०
- 5- निविदा फार्म की राशि (अंको में) (शब्दों में)
- रसीद सं० दिनांक
- (उपरोक्त की छायाप्रति संलग्न करें)
- 6- निविदादाता का सम्पर्क नम्बर मोबाईल नम्बर

मै घोषणा करता हूँ कि कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा दी गयी सभी शर्तें मुझे मान्य होगी ।

निविदाता का नाम
व हस्ताक्षर



कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि० नैनीताल
वित्तीय निविदा

- 1- निविदादाता का नाम पिता का नाम
- 2- स्थाई पता
.....
.....
.....
- 3- पत्राचार का पता
.....
.....
.....
- 4- निविदादाता का सम्पर्क नम्बर मोबाईल नम्बर
- 5- निविदित पर्यटक आवास गृह/पर्यटक सुविधा केन्द्र/इकाई का नाम:- निविदित धनराशि
- | | |
|----------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |

निविदाता का नाम
व हस्ताक्षर